

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक-सह-सहायक आयुक्त,
नागरिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक-

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष-2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष- 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, उपमुख्यशीर्ष- 00, लघु शीर्ष- 106- सिविल रक्षा, उपशीर्ष- 0002-जिला प्रभार विपत्र कोड-39-2070001060002 के अन्तर्गत कुल ₹2300000 (तेईस लाख रुपये) आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

- इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष- 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, उपमुख्यशीर्ष- 00, लघु शीर्ष- 106- सिविल रक्षा, उपशीर्ष- 0002-जिला प्रभार के अन्तर्गत तृतीय अनुपूरक आगणन द्वारा उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- आवंटित/ पूर्व आवंटित राशि की विवरणी लघुशीर्ष/ उपशीर्षवार निम्नप्रकार है :-

लघु शीर्ष-106- सिविल रक्षा
उपशीर्ष-0002-जिला प्रभार

मांग संख्या-39

(राशि रूपये में)

क्र.	विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	योग
1	2	3	4	5	6
1	01-वेतन	01 वेतन	0.00 (शून्य)	825000 (आठ लाख पचीस हजार)	825000 (आठ लाख पचीस हजार)
2		03 जीवन यापन भत्ता	0.00 (शून्य)	1146000 (ग्यारह लाख छियालीस हजार)	1146000 (ग्यारह लाख छियालीस हजार)
3		04 मकान किराया भत्ता	0.00 (शून्य)	143000 (एक लाख तेतालीस हजार)	143000 (एक लाख तेतालीस हजार)
4		05 परिवहन भत्ता	0.00 (शून्य)	7000 (सात हजार)	7000 (सात हजार)
5		06 चिकित्सा भत्ता	0.00 (शून्य)	7000 (सात हजार)	7000 (सात हजार)
6		07 अन्य भत्ता	0.00 (शून्य)	1000 (एक हजार)	1000 (एक हजार)
योग 01-वेतन			0.00 (शून्य)	2129000 (इक्कीस लाख उनतीस हजार)	2129000 (इक्कीस लाख उनतीस हजार)
7	05-पुरस्कार	01 पुरस्कार	0.00 (शून्य)	8000 (आठ हजार)	8000 (आठ हजार)
8	06- चिकित्सा प्रतिपूर्ति	01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.00 (शून्य)	25000 (पचीस हजार)	25000 (पचीस हजार)
9	11-यात्रा व्यय	01 यात्रा व्यय	0.00 (शून्य)	33000 (तेतीस हजार)	33000 (तेतीस हजार)
10	13-कार्यालयी व्यय	01 कार्यालय व्यय	0.00 (शून्य)	50000 (पचास हजार)	50000 (पचास हजार)
11		06 वर्दी/ शोशाक	0.00 (शून्य)	5000 (पाँच हजार)	5000 (पाँच हजार)
12	28- व्यावसायिक सेवाएँ	02 संविदा सेवाएँ	0.00 (शून्य)	50000 (पचास हजार)	50000 (पचास हजार)
योग --39- 2070-00-106-0002- जिला प्रभार			0.00 (शून्य)	2300000 (तेईस लाख)	2300000 (तेईस लाख)

- अनुरोध है कि यात्रा व्यय, कार्यालयी व्यय, अन्य प्रशासनिक व्यय, व्यावसायिक सेवाएँ आदि विस्तृत शीर्षों में मितव्ययिता बरती जाय तथा इन सभी में व्यय आवश्यकता को देखते हुए ही किया जाय। उक्त मद के अन्तर्गत व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

5. जिलों द्वारा उक्त शीर्ष के अंतर्गत व्यय की गई राशि का व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय तथा आवश्यकतानुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के शेष माह हेतु विभिन्न विस्तृत शीर्षों एवं विषय शीर्षों के अन्तर्गत आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार से अधियाचना की जाय।
6. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561[वि0 (2)] दिनांक- 17.4.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।
7. इस आवंटन आदेश की प्राप्ति के पश्चात् पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ" उल्लिखित करते हुए तुरन्त रिटर्न फैक्स से विभाग को सूचित किया जाय।
8. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-15.03.2018 तक निश्चित रूप से विभाग को कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।
9. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-
अपर सचिव

ज्ञापांक-...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
अपर सचिव

ज्ञापांक-...../आ0प्र0, पटना-15, दिनांक-20/4/17
प्रतिलिपि: जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/पूर्णियाँ/बेगूसराय/कटिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव